

Composition Of Committee for recommendation of CIC and IC in the
Rajasthan Information Commission

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 15(3) के अन्तर्गत राज्य मुख्य सूचना आयुक्त एवं राज्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा निम्नलिखित से मिलकर बनी समिति की सिफारिश पर की जाएगी,—

- (i) मुख्यमंत्री , जो समिति का अध्यक्ष होगा ,
- (ii) विधानसभा में विपक्ष का नेता, और
- (iii) मुख्यमंत्री द्वारा नामनिर्देशित किया जाने वाला मंत्रिमण्डल का सदस्य।

Handwritten signature
28/11/2020

सहायक शासन सचिव
सहायक शासन सचिव

प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग
(सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ)
शासन सचिवालय, जयपुर